मु० नं० 66/2023 सायर अंतर्गत सीतल
बाबा बोधगम्य

18/3/24	आहिवक्ता वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी को बार-बार अवसर लगवाई गई। लेकिन अधिवक्ता वादी या वादी दोनों अनुपस्थित नहीं आये इसलिए वादी का वाद अक्षम होकर एक अक्षम पत्रावली में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत फुटकर होकर दर्ज रजिस्टर हो कर दे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़